निर्दिष्ट कार्यो हेतु बैंक के सेवानिवृत अधिकारियों का नाम सूचीबद्ध करने सबंधी जानकारी

बैंक में ऋण खातों की गुणवत्ता की जॉच, गैर निष्पादक खातों से स्वप्रेरित जॉच, शिकायत की जॉच एवं आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुपालन आदि की जॉच के लिये छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत हुये अधिकारियों सें आवेदन आंमत्रित है । आवेदन के लिये पात्रता मापदंड निम्नानुसार है–

1– बैंक से सेवानिवृत ऐसे अधिकारी जो कि छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक की सेवा से दिनांक 30.09.2015 की स्थिति पर अधिकारी वर्ग–2, अधिकारी वर्ग–3 अथवा अधिकारी वर्ग–4 पद से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हुए हों एवं दिनांक 30.09.2015 को उनकी आयु 62 वर्ष से अधिक न हो, अधिकारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति, त्यागपत्र जैसे कारणों से अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा त्याग किया है, वे अधिकारी इस योजना हेतु पात्र नही होंगे ।

2– अधिकारी के सेवानिवृति से ठीक पूर्व के 5 वर्षो में उनके विरूद्व दण्ड जारी न किये गए हों, अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध न हो एवं अधिकारी के विरूद्व सीबीआई अथवा अन्य संस्था में जॉच लंबित न हो ।

3– सामान्यतः स्वस्थ एवं यात्रा आदि में सहज समर्थ हो ।

4– अधिकारी को कम से कम 5 वर्षों का ऋण से संबंधित कार्यो का अनुभव होना चाहिये । बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक, सतर्कता, विभागीय कार्यवाही विभाग अथवा/एवं/या ऑडिट–निरीक्षण आंतरिक अंकेक्षक पद से सेवानिवृत अधिकारी भी इस योजना में पात्र होंगे भले ही उनकी सेवा अनुभव की यह पात्रता अवधि 2 वर्ष ही हो ।

5– भूतपूर्व अधिकारी जो सेवानिवृति के पश्चात अन्य अंशकालिक कार्य में संलग्न है वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगे । किन्तु उन्हें बैंक द्वारा सौपे गए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा ।

6– गोपनीयता संबंधी शपथ पत्र एवं प्राप्त सूचनाओं का अन्य किसी प्रकार से प्रयोग न करने/लीक न करने का शपथ पत्र देना होगा ताकि बैंक व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल असर न पडे ।

अन्य नियम एवं शर्ते

1 – भूतपूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर 1 वर्ष की अवधि हेतु सूचीबद्ध किया जावेगा । संतोषप्रद कार्यनिष्पादन एवं बैंक की आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध करने की अवधि अधिकारी के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उनके अधिकतम 63 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (एक बार में अगामी एक वर्ष के लिए ही) बढाई जावेगी ।

2– सूचीबद्ध होने को किसी भी उद्वेश्य के लिये पुनः नियोजन नही माना जावेगा । बैंक किसी भी समय बगैर किसी प्रकार का कारण दर्शाए निम्नलिखित कारणों से सूचीबद्धता निरस्त/समाप्त कर सकता है –

अ) यदि वे सौंपे गए कार्य को सम्पादित करने में असफल होते है या सौपे गए कार्य के निष्पादन का स्तर संतोषजनक नही हो या प्रायः विलंब होता हो ।

ब) ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के विषय पर कुछ संदेह उत्पन्न होता है ।

3– सेवानिवृत अधिकारी को नियोजन हेतु वचन प्रत्र/शपथ पत्र देना होगा । इसमे गोपनीयता एवं बैंक हित संरक्षण संबंधी, निकट संबंधियों की जानकारी आदि के प्रावधान भी होंगे ।

4– बैंक में आंतरिक जॉच पडताल क्षमता के सुदृरढ़ीकरण के उद्वेश्य से बैंक में पदस्थ नियमित अधिकारियों को अनुसन्धान कार्य सौपे जावेंगे । किन्तु कार्य की अधिकता की स्थिति में सूचीबद्ध किसी अधिकारी को इसकी सहायक जिम्मेदारी भी दी जा सकती है ।

.........2/–

5– क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधीन शाखा कार्यालय जहॉ के संदर्भ में शिकायत/ऋण खाता होगा उस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सूचीबद्ध अधिकारी को कार्य आबंटित किया जावेगा । स्थानीय रूप से उपलब्ध भूतपूर्व अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्य सौंपा जावेगा ।

6– बडे गैर निष्पादक ऋणों या ऋण समूह की जॉच पडताल हेतु सामान्यतः अनुमत समय अधिकतम 2 दिन होगी । मानदेय की दर प्रति दिवस रू 500/– होगी ।

7– शिकायतों की जॉच एवं रिपोर्टिंग कार्य पूर्ण करने हेतु अनुमत अधिकतम समय 2 दिन (clear days) होगा एवं मानदेय की दर प्रति दिवस रू 500/–होगी ।

8– अंतरिक अंकेक्षण के अनुपालन की जॉच हेतु प्रति शाखा अनुमत अधिकतम समय 2 दिन (clear days) होगा एवं मानदेय की दर प्रति दिवस रू 500/–होगी ।

निर्धारित समय में वृद्धि हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक सक्षम अधिकारी होंगे। वे समय में वृद्धि हेतु सूचीबद्ध अधिकारी द्वारा उल्लेखित कारणों से संतुष्ट होने पर समय में वृद्धि कर सकेंगे ।

9– अन्य शहर/केन्द्र में कार्य होने पर परिवहन एवं यातायात व्यय हेतु रू 300/– प्रतिदिन एवं कार्य उसी शहर में (जहॉ अधिकारी सामान्यतः निवासरत है) होने पर, आउट आफ पॉकेट व्यय प्रति दिन रू 150/– की दर से किया जावेगा ।

10– सूचीबद्ध अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सतत अनुश्रवण/समीक्षा की जावेगी। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने/प्रस्तुत प्रतिवेदन वांछित गुणवत्ता युक्त न पाए जाने पर उन अधिकारियों को भविष्य में कार्य नही सौपे जावेंगे ।

11– सूची में शामिल हो जाने मात्र से भूतपूर्व अधिकारी काम पाने का अधिकारी नही होगा। कार्य का आबंटन बैंक के विवेक पर निर्भर होगा ।

12– अधिकारी को गैर निष्पादक खातों में सेवायुक्तो की जिम्मेदारी के निर्धारण हेतु ऐसे खाते नही सौंपे जावेंगे जो स्वयं उसके द्वारा स्वीकृत/वितरित किये गए है या उसका कोई हित निहित हो । उन्हें प्रत्येक प्रकरण में इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह ऋण खाता उसके द्वारा स्वीकृत/वितरित नही है एवं उनका कोई हित निहित नही है ।

13– सेवानिवृत अधिकारी अपने देयक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे । क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देयक की जॉच कर पात्रतानुसार राशि व्यय खाते को नामें कर संबंधित अधिकारी के खाते में जमा की जावेगी । इसमें नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी । क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण हेतु मासिक रिर्पोट प्रधान कार्यालय प्रेषित करेंगे ।

14– अधिकारी को अन्य नियम एवं शर्ते के बिन्दु 6, 7, 8 एवं 9 में उल्लेखित दरों पर मानदेय के अलावा वेतन, भत्ते और अन्य मद में कोई भुगतान नही किया जावेगा ।

15– सूचीबद्ध अधिकारियों को फोटा परिचय पत्र जारी किये जावेंगे जिसमे वैधता अवधि भी दर्ज होगी। अवधि समाप्त होने पर परिचय पत्र बैंक में वापस जमा करना होगा ।

16– सूचीबद्ध अधिकारी बैंक के चिन्ह, बैंक की नाम पट्टिका, बैंक का विजिटिंग कार्ड, बैंक का लेटर पैड एवं बैंक के स्टेशनरी का उपयोग नही कर सकेंगे ।

17– यद्यपि सूचीबद्ध अधिकारी की, बैंक के कंप्यूटर सिस्टम, कोर बैंकिंग प्लेटफार्म तक पहुॅच नही होगी। तथापि वे शाखा प्रबंधक के सहयोग से जॉच पडताल हेतु आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकेंगे ।

18– सेवानिवृत अधिकारियों को सूचीबद्ध होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रू 50000/–टी.डी.आर के रूप में जमा करना होगा ।

19– अधिकारियों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्णतः अस्थाई कार्य है । इसे किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । विवाद की स्थिति में बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

सेवानिवृत अधिकारियों को अपना आवेदन (संलग्न प्रारूप में) अपने फोटोग्राफ, डाक का पता, मोबाइल/लैंडलाइन नंबर और ई–मेल पता के साथ दिनांक 30.05.2017 तक जमा करना होगा। उक्त तिथि के पश्चातन प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार नही किये जायेगें ।

प्रति
महाप्रबंधक (प्रशासन)
छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
रायपुर(छग)

फोटो

महोदय,

निर्दिष्ट कार्यो हेतु बैंक के सेवानिवृत अधिकारियों का नाम सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन

क	विवरण	आवेदक द्वारा भरा जावेगा
1	नाम / पिता का नाम	
2	जन्म तिथि / उम्र	
3	पी.एफ. क्रमांक	
4	वर्तमान निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
5	मोबाईल नं लेंड लाइन नं	
6	ई–मेल आई डी	
7	अ) शैक्षणिक योग्यता ब) JAIIB/CAIIB position	
8	बैंक से सेवानिवृति तिथि / स्थान कौन सी शाखा से	
9	सेवानिवृति के समय का पद / स्केल	
10	सेवानिवृति के पूर्व की तीन पदस्थी का विवरण तिथि सहित	1) 2) 3)
11	ऋण / आडिट / एन.पी.ए अनुवर्तन का अनुभव (जगह कम होने पर आवेदक चाहे तो अलग से कागज में पूर्ण विवरण के साथ संलग्न कर सकते है)	
12	सूचीबद्ध होने के लिये इच्छुक क्षेत्रीय कार्यालय	
13	वर्तमान में यदि कहीं कार्य कर रहे है तो उसका विवरण	
14	सेवाकाल के दौरान आनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है तो उसका पूर्ण विवरण देवें	
15	संलग्न किये गये KYC का विवरण	
16	अन्य विवरण	

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारी सत्य है, यदि असत्य पाये जाने पर मेरी पात्रता निरस्त मानी जावें ।

स्थान –

दिनांक–

आवेदक का हस्ताक्षर